भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3842

06 अप्रैल, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: दूध और संबंधित उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लिए सहकारी समितियां

3842. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों के लिए अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने हेतु गुजरात की तर्ज पर सभी राज्यों में दूध, अन्य दुग्ध उत्पादों, पशु आहार इत्यादि के उत्पादन के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु कोई पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): पशुपालन और डेयरी विभाग देश भर में डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों आदि के किसान-सदस्यों को लाभान्वित करने के लिए गुणवत्तापरक दूध की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन हेतु डेयरी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण / निर्माण के लिए राज्यों के प्रयासों को अनुपूरक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

(1) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

एनपीडीडी का घटक 'क' राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ/एसएचजी/दूध उत्पादक कंपनियों/किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापरक दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना बनाने/सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

एनपीडीडी योजना "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का घटक 'ख' का उद्देश्य संगठित बाजार में किसानों की पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करना और उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थानों की क्षमता को बढ़ाना है, जिससे परियोजना क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों के प्रतिफल में वृद्धि में योगदान मिलता है।

(2) डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ)

डीआईडीएफ का उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों, बहु राज्य डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), एनडीडीबी सहायक कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और राज्य सहकारी और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए दूध प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और शीतलन सुविधाओं का सृजन/सुदृढ़ करना है।

*****